

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:प.4(1)(309)पोषा./गेहूं/ICDS/2013-14/97199-95 जयपुर, दिनांक 25/7/16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :- गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत भारत सरकार से प्राप्त गेहूं के उपयोग के संबंध में।

प्रसंग:- समसंख्यक विभागीय पत्रांक 91383-415 दिनांक 12.07.16

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत सरकार द्वारा गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत राज्य सरकार को रियायती दर पर उपलब्ध कराये जा रहे गेहूं का उपयोग स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार (टेक होम राशन एवं गरम पूरक पोषाहार) के निर्माण में किये जाने हेतु आपके जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों एवं उचित मूल्य की दुकानों की मैपिंग कराने एवं प्रतिमाह आवश्यक गेहूं की मात्रा की परियोजनावार सूचना निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक 20.07.2016 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	उचित मूल्य की दुकान का नाम व पता	स्वयं सहायता समूह का नाम व पता	प्रतिमाह आवश्यक गेहूं की मात्रा किग्रा. में
---------	-----------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

आप द्वारा इस सम्बंध में अभी तक कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई है। कृपया इससे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वांछित सूचना दिनांक 29.07.16 तक ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करावे।

(स्मिता सरीन)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:प.4(1)(309)पोषा./गेहूं/ICDS/2013-14/97199-95 जयपुर, दिनांक 25/7/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।

(स्मिता सरीन)

अति.निदेशक (पोषाहार)